न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० 1200 4 अपील

1- नवाबसिंह पुत्र छोटेसिंह
2- केदारसिंह पुत्र रघुनाथसिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम किरॉयच तहसील अम्बाह
जिला मुरैना ------ आवेदकगण

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- देवसिंह पुत्र चिम्मनसिंह
3- मुसo बिटोला विधवा पत्नी भारतसिंह
निवासीगण ग्राम ऊदलपुरा मौजा किरॉयच
तहसील अम्बाह जिला मुरैना -- प्रत्यर्थीगण

बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्र० क्र० 25।2001-2002 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-9-2004 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-44(2) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

अपीलार्थीगण निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनियमित एवं मनमाने होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का वास्तविक आधिपत्य म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 के प्रभावशील होने के पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है। राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थीगण के आधिपत्य की प्रविष्टि वर्ष 1959-60 से निरन्तर चली आ रही है। ऐसी प्रविष्टि को निरस्त करने का बन्दोबस्त अधिकारी को

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1502–दो/04 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील आयुक्त, बंदोवस्त म0प्र0 ग्वालियर के के प्रकरण कमांक 25/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 25–9–2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम किर्रायच स्थित प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 एवं 3 हैं । इन पर पर आवेदक का इन्द्राज आधिपत्य कृषक के रूप में चला आ रहा है । बंदोवस्त अधिकारी एवं कलेक्टर मुरैना के प्रशासकीय आदेश दिनांक 29–9–96 के अनुसार कब्जा प्रविष्टि काट दी गई । उक्त आदेश की अपील पूर्व में अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील इस आधार पर निरस्त की कि अपीलांट को बंदोवस्त आयुक्त के यहां अपील करना चाहिए थी । उक्त आदेश के उपरांत अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो आयुक्त, बंदोवस्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त, बंदोवस्त के आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित नहीं है । किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टि को विलोपित नहीं किया जा सकता है । यदि अधीनस्थ न्यायालय बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को प्रशासनिक आदेश मानते थे तब उन्हें अपने प्रशासनिक अधिकारों	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	का प्रयोग करना चाहिए था । उसके लिए पृथक से अपील की आवश्यकता नहीं है । अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारना न्यायदृष्टांत 1970 आर0एन0 591 एवं 1980 आर0एन0 321 का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरसत किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि बंदोवस्त अधिकारी द्वारा मासिक बैठक में दिनांक 29–6–96 को समस्त अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि वे बंदोवस्त अभिलेख में किसी भी अवस्था में कब्जा न लिखें और जो पूर्व में लिखे गये हैं वह 31.7.96 तक काट दें । उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासकीय आदेश मानते हुए संहिता की धारा 56 के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं माना है । और इस संबंध में उन्होंने 1966 आर0एन0 380 का हवाला देते हुए निगरानी को निरस्त किया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 1970 आर0एन0 591 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – भू–राजस्व संहिता, 1959 – धारा–44 तथा 56– आदेश – पत्र के रूप में दिया गया विवाद ग्रस्त बिंदु निर्णीत आदेश है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1980 आर0एन0 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 44 तथा 50 – नामांतरण	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1502–दो/04 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होगा – ऐसे निर्देशों के विरूद्ध अपील तथा पुनरीक्षण ग्राह्य है । उपरोक्त न्यायदृष्टांयतों को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणदोषों पर करें । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	